राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.10(35)नविवि/3/2010पार्ट

21 NOV 2019
जयपुर, दिनांकः

आदेश

राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2010 के नियम-6 एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 16.04.2010 के बिन्दु 3 में भू-उपयोग परिवर्तन समितियों को भू-उपयोग परिवर्तन हेतु निर्णय करने की शक्तियां प्रदान की गयी है। डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1554/2004, गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.01.2017 के अनुसार भू-उपयोग परिवर्तन वृहद जनहित में राज्य सरकार द्वारा ही किया जा सकता है। इस क्रम में समसंख्यक आदेश दिनांक 24.10.2019 को प्रत्याहारित करते हुए निम्न आदेश जारी किये जाते है।

राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2010 के नियम-6 एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 16.04.2010 के बिन्दु-3 में स्थानीय स्तरीय सभी समितियां (नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम, नगर विकास न्यास, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण स्तरीय समितियां) की भू-उपयोग परिवर्तन की शक्तियां सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णय अनुसार समाप्त की जाती हैं। भू-उपयोग परिवर्तन नियम, 2010 में आवश्यक संशोधन हेतु अलग से कार्यवाही की जा रही है।

समस्त क्षेत्रफल के भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों का निर्णय राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा किया जायेगा। राज्य स्तरीय समिति द्वारा लिये गये निर्णयों का अनुमोदन माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग के अनुमोदन पश्चात ही कार्यवाही विवरण जारी कर क्रियान्वित किये जायेंगे।

सम्बन्धित नगरीय निकायों द्वारा राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति में प्रकरण की सूचना निर्धारित चैक लिस्ट अनुसार, आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां, मौके की स्थिति यथा-विद्यमान सड़क के पहुंच मार्ग की चौड़ाई, मास्टर प्लान/जोनल डवलपमेन्ट प्लान/सेक्टर प्लान के अनुसार प्रस्तावित चौड़ाई, क्षेत्र का नवीनतम रंगीन गूगल मानचित्र एवं निकाय स्तरीय समिति की वृहद जनहित में भू-उपयोग परिवर्तन हेतु औचित्यपूर्ण टिप्पणी व स्पष्ट अनुशंषा के साथ प्रेषित किये जावें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(भास्कर ए. सावंत)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक : प.10(35)नविवि/3/2010 पार्ट जयपुर, दिनांक :— 21 NOV 2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगरीय निकायों को निर्देशित किये जाने हेतु।
5. सचिव, अजमेर/जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, अजमेर/जयपुर/जोधपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, राजस्थान, समस्त।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
9. मुख्य नगर नियोजक, एनसीआर, राजस्थान, जयपुर।
10. उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव—तृतीय